

कार्यालय प्रभागीय निदेशक वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
पत्रांक-1415 /15-1, पीलीभीत, दिनांक 26 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाईगर रिजर्व,
पीलीभीत।

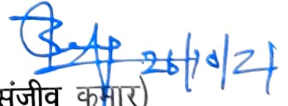
विषय :- जनपद-पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग (रहैता-पीलीभीत सेक्शन के 731K) कि०मी० 137.250 से कि०मी० 183.380 (पैकेज-IV) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि 44.376 हे० के गैर वानिकी प्रयोग एवं 26427 बाधक वृक्षों की पातन अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत का पत्रांक 834/14-1 दिनांक 21.10.2021, इस कार्यालय का पत्रांक 1360/15-1 दिनांक 21.10.2021 एवं परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर का पत्रांक No. PIU/MORTH/PBE/Forest/2020-21/541 Date 22.10.2021

महोदय,

आपके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर को इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा लेख किया गया था, जिसके क्रम में उन्होंने अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित संरेखण, वर्तमान वस्तु स्थिति का निरीक्षण किये जाने एवं तकनीकी अध्ययन/मानको के अनुरूप सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, आवश्यक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः इस स्तर पर प्रस्तावित सड़क संरेखण को परिवर्तित/संशोधित किया जाना सम्भव नहीं है। सड़क के संरेखण को एक तरफ किये जाने से अतिस्वित्त भूमि की आवश्यकता होगी जिससे निजी कृषि योग्य भूमि प्रभावित होने के साथ-साथ प्रभावित काश्टकारों के पुनर्वास एवं आय के स्रोत पर भी असर पड़ेगा इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण में भी अधिक समय लगेगा तथा भविष्य में विश्व बैंक द्वारा सड़क परियोजनाओं हेतु ऋण सहायता उपलब्ध कराये जाने में कठिनाईयां आयेंगी।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(संजीव कुमार)
प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत